न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, अररिया।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1227/2026</u>
सिमराहा थानाकांड संख्या–139/26

आनंद कुमार .....आवेदक।
बनाम
बिहार राज्य

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री महेश प्रसाद चौपाल, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– मो0 अब्दुल मन्नान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
वास्ते सूचिका :– श्री अजीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

<u>24.06.2026</u> आवेदक/अभियुक्त आनंद कुमार, उम्र– 28 वर्ष, पिता–स्व0 जोगेन्द्र मंडल, साकिन–टिहला, औराही, रेणुगांव, वार्ड नं0 09, थाना–सिमराहा, जिला–अररिया, की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक– 04.06.2026, जो सिमराहा थानाकांड संख्या–139/2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 85, 352, 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चूॅकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। उक्त आवेदन पर उभय पक्षों एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचिका पुष्पा देवी की शादी आज से पूर्व लगभग 07 वर्ष पहले आवेदक/अभियुक्त आनंद कुमार के साथ हिन्दु रीति–रिवाज के साथ हुई थी और सूचिका के पिता ने उपहार स्वरूप 03 लाख रूपया, मोटरसाईकिल, सोने के आभूषण एवं फर्नीचर का सामान दिया था। शादी के 6 साल तक उनका दांपत्य जीवन अच्छा से गुजरा जिसमें सूचिका को 2 पुत्र एवं 1 पुत्री है। लगभग 1 साल से सूचिका एवं उसके पति से तू–तू मैं–मैं होता था और उसका पति शराब पीकर उसे मारता–पीटता और गाली–गलौज करता रहता। सूचिका का यह भी कहना है कि उसका पति सह आवेदक का अन्य महिला रूपा देवी के साथ नाजायज संबंध है और एक दिन सूचिका का पति रूपा देवी से आपत्तिजनक बात कर रहा था, जिसका सूचिका द्वारा विरोध करने पर उसका पति मारपीट किया और उसकी सास भी गंदी–गंदी गाली दी और सूचिका को छोड़ दूसरी शादी कर लेने को कहा और दोनों सूचिका को जान से मारने का प्रयास किया, जिसपर सूचिका एवं उसके बच्चे के चिल्लाने पर कुछ लोग आये, उसकी जान बचायी। जिस बात की सूचना सूचिका की मां को मिली तब वह वहीं के संजय मंडल को लेकर सूचिका के ससुराल पहुॅची तो उसे भी गाली देकर भगा दिया और आवेदक बोला कि सूचिका उसकी पत्नी है, जिसके साथ जो चाहेंगे वो करेंगे और उन्हें भी मारने का धमकी दिया, उसके बाद वे लोग सिमराहा थाना गये और उसके बाद सूचिका की मॉ सूचिका को लेकर माईके आयी और बोली पंचायत करेंगे। जिसपर आवेदक पंचायत करने से इंकार किया और सूचिका की मां को बोला कि उसे दो लाख रूपया व्यापार करने के लिए देना होगा नहीं तो वह सूचिका को नहीं रखेगा।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में इससे पहले दायर नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व का कुल 03 आपराधिक इतिहास क्रमशः 1. सिमरहा थाना कांड संख्या– 181/24 अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118(1), 74, 303(2), 352, 3(5) बी.एन.एस., 2. भरगामा थाना कांड संख्या– 320/23 अंतर्गत धारा– 379, 411 भा0द0वि0 एवं 3. फारबिसगंज (सिमराहा) थाना कांड

लगातार–

02

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1227/2026</u>

सिमराहा थानाकांड संख्या–139/26

<u>लगातार</u>

24.06.2026 संख्या– 1070/2023 अंतर्गत धारा– 379, 411, 414, 413/34 भा0द0वि0 है, जिसमें आवेदक जमानत पर है। इस मामले में आवेदक पूरी तरह से निर्दोष और उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने कभी दहेज की मांग नहीं किया और न ही सूचिका के साथ मारपीट किया है। आवेदक का कोई प्रेम संबंध नहीं है और अन्य महिला रूपा देवी आवेदक की रिश्तेदार है। आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण सम्मान के साथ रखने के लिए तैयार है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक के विरूद्ध धारा–126(2), 115(2), 85, 352, 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/4 डी.पी.एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उपरोक्त वाद की सूचिका आज न्यायालय में अपने पति सह आवेदक/अभियुक्त के साथ सदेह उपस्थित है तथा कथन करती है कि हमलोगों के बीच सौहार्दपूर्ण भाव से समझौता हो गया है। उभय पक्ष पति–पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे है। उभय पक्ष अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहते है। इस आशय का संधि पत्र भी दाखिल किया गया है। सूचिका यह भी कथन की है कि आवेदक को जमानत की सुविधा देने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति में आवेदक को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभू सहित बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आदेश प्राप्ति के तीन(03) सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने पर या गिरफतार होने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. की शर्तो के साथ आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि–
1–आवेदक का एक जमानतदार उसका संबंधी होगा।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।